जलदाय विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक से ठगी

अनपढ़ युवक के बैंक खाते व आधार कार्ड का इस्तेमाल कर ठगों ने 2.83 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की

- **पीड़ित को पता तब चला जब महाराष्ट्र पुलिस ने फोन कर साइबर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी**

श्रीगंगानगर, (निसं)। जलदाय विभाग में नौकरी लगवाने का लालच देकर एक अनपढ़ युवक से बैंक खाता लेकर 2 करोड़ 83 लाख रुपए की साइबर ठगी में दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पीड़ित को पता तब चला जब महाराष्ट्र पुलिस ने फोन कर साइबर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी। पीड़ित को बैंक ने भी फोन कर बुलाया। पीड़ित को बैंक मैनेजर ने बताया तो वह घबरा गया। इसके बाद पीड़ित ने सदर, साइबर थाना और आखिर में एसपी को परिवाद दिया। एसपी के आदेश से पुरानी आबादी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी जांच हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा को सौंपी गई है।

जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी सुखवंत सिनेमा के निकट निवासी वीरेंद्र पुत्र मिश्रीलाल और जवाहरनगर निवासी रोहित गोयल के खिलाफ साइबर ठगी व धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में पीड़ित 3 बी निवासी 20 वर्षीय रमेशकुमार भाट पुत्र मंगतराम को आरोपी वीरेंद्र ने जलदाय विभाग में नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर उससे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट आदि ले लिए। यह बैंक अकाउंट सेविंग था, इसलिए इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट के कारण आरोपी ने पीड़ित को फिर से बुलाकर जेसीटी मिल की एसबीआई शाखा में करंट अकाउंट खुलवाया। इस बैंक अकाउंट की पास बुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड आरोपी ने अपने पास रख लिए। खाते की देशभर के 95 पीड़ितों ने करवा रखी है साइबर शिकायत जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा ने बताया कि पीड़ित के इस एसबीआई के करंट अकाउंट की देशभर के 95 लोगों की ओर से साइबर शिकायत विभिन्न थानों में और टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा रखी है। बैंक की स्टेटमेंट लेने के बाद पता चलेगा कि इस करंट खाते में आई 2 करोड़ 82 लाख 95 हजार 422 रुपए की रकम कितने लोगों के खातों से ट्रांसफर हुई है।

जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा ने बताया कि 2 मई से 8 अक्टूबर 2024 तक 5 माह के दौरान इस खाते में इतना अधिक ट्रांजेक्शन हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में इसे 8 अक्टूबर को फ्रीज करवा दिया। अकाउंट का अटैच नंबर आरोपी वीरेंद्र का दिया हुआ था। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे ही मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी तो आरोपी ने गलत नंबर बताया। महाराष्ट्र पुलिस ने बैंक मैनेजर को फोन किया। मैनेजर ने पीड़ित को बुलाकर सारी बात बताई। रमेश भाट जिसके खाते का दुरुपयोग हुआ। आरोपी वीरेंद्र ने इस बैंक अकाउंट को आगे साइबर फ्रॉड करने वाले जवाहरनगर निवासी रोहित गोयल को बेच दिया। इस बैंक खाते में 2 मई से 8 अक्टूबर 2024 तक की अवधि में 2 करोड़ 82 लाख 95 हजार 422 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। आरोपी वीरेंद्र को पुलिस ने तत्काल ही शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी रोहित गोयल गायब हो गया है। उसकी तलाश से आगे मामले का खुलासा होगा कि इस चेन में कौन-कौन शामिल हैं।

पीड़ित रमेश भाट ने पुलिस परिवाद में बताया कि वह अनपढ़ है और गांव में मजदूरी करके जीवन यापन करता है। उसके कमर में दर्द था। उसे किसी ने बताया कि पुरानी आबादी में सुखवंत सिनेमा के निकट रविंद्र उर्फ वीरेंद्र नाम का युवक है जो कमर दर्द का देसी तरीके से इलाज करता है। पीड़ित उसके पास इलाज करवाने पहुंचा। बातचीत में आरोपी ने पीड़ित से कामकाज के बारे में पूछा। इसके बाद उसने कहा कि वह उसे जलदाय विभाग में हेल्पर की पक्की नौकरी लगवा देगा। उसकी बातों पर विश्वास कर पीड़ित ने उसे अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि दस्तावेज असली सौंप दिए। कुछ दिन बाद ही आरोपी ने नया बैंक अकाउंट खुलवाने को कहा। उसने पीड़ित को साथ ले जाकर जेसीटी मिल के निकट एसबीआई की शाखा में उसका करंट अकाउंट खुलवा दिया। इसकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम आरोपी ने अपने पास रख लिए।

अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा दिया। इसके बाद खाते में रुपए आते और आरोपी निकालकर इस्तेमाल करते रहे। पीड़ित रमेश भाट ने बताया कि बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद उसे अपने साथ हुए धोखे की जानकारी मिली। उसने आरोपी वीरेंद्र से बात की तो उसने धक्के देकर भगा दिया और गालियां भी दी। फिर पीड़ित ने अपने गांव में परिचित को बताया। परिवाद सदर थाने में दिया। वहां से साइबर थाने भेज दिया। दोबारा परिवाद लिखवाकर साइबर थाने में दिया, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद एसपी को परिवाद दिया। एसपी ने पुरानी आबादी थाने को 9 दिसंबर को पत्र लिखकर मामले की प्रारंभिक जांच करने को कहा। प्रारंभिक जांच में पीड़ित की साइबर फ्रॉड में भूमिका सामने नहीं आई। इसकी रिपोर्ट पर अब 29 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है।

60 लाख की अवैध शराब बरामद

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर ग्रामीण की ओसियां थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ट्रक से 830 कार्टून अवैध शराब बरामद की है। पंजाब निर्मित अवैध शराब की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक ट्रक को भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपी से अवैध शराब तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि ओसियां थाना पुलिस की ओर से अवैध शराब तस्करी को लेकर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया गया। पूछताछ में ड्राइवर ने ट्रक में आलू के कट्टे होना बताया। शक होने पर ट्रक की तलाशी ली गई। इस दौरान ट्रक के अंदर अवैध शराब मिली। ट्रक में कुल 830 कार्टून भरे थे। इस पर मामला दर्ज कर आरोपी किशोर कुमार पुत्र चूनाराम जाट निवासी दीनगढ़ आलमसर, पुलिस थाना धनाऊ, जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया।

3900 किलो मादक पदार्थ नष्ट किया

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा जिला पुलिस द्वारा एनडीपीएस प्रकरणों में पकड़े गए अवैध मादक पदार्थ निस्तारण के लिए चलाए गए अभियान के तहत 129 मामलों के जब्त करीब 3900 किलो ड्रग सामग्री नष्ट की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने यह जानकारी दी।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no.0294-2426262 वेबसाइट- www-udaipurmc.org
क्रमांक : निविजा/2024-25/ई -31 दिनांक :- 31.01.2025

(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 31/2024-25

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यो हेतु कुल राशि रु0 108.48 लाख के कुल 09 कार्यो हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यो की प्रारम्भ तिथि 31.01.2024 एवं अंतिम तिथि 10.02.2025 तथा निविदा खुलने की तिथी 11.02.2025 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है। UBN No. UNP2425WSOB00179
राज.संवाद/सी/24/11109 अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, उदयपुर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम) कॉरपोरेट कार्यालय, 04, मीरा मार्ग, उदयपुर- 313001(राज.)
फोन नम्बर: (0294)2428768/2428763-67, फैक्स: (0294)2428768,2428739
दिनांक :- 30/01/2025

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
ई-निविदा संख्या 15/2024-25 UBN No. MML2425GLOB00195	गिरल लिग्नाइट खदान, बाडमेर (राजस्थान) पर 100 MT क्षमता वाले वे-ब्रिज की आपूर्ति, स्थापना, कमिशनिंग एवं परीक्षण हेतु। अनुमानित मात्रा - 1, धरोहर राशि (रु. में) 90,000/-, निविदा प्रपत्र मूल्य (रु. में) 1180/-

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com / www.sppp.rajasthan.gov.in अथवा उप महाप्रबंधक (एमएम) से उपरोक्त पतें पर सम्पर्क करें।
राज.संवाद/सी/24/11079 उप महाप्रबन्धक (प्रशासन)

कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)
E-Mail Id:- np.sangod05@gmail.com Phone No.:-07450-294239
क्रमांकः-न0पा0सा0/2025/262 दिनांकः-29.01.2025

ई-निविदा-सूचना

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 261 दिनांक 29.01.2025 के द्वारा कुल 7 कार्य की अनुमानित लागत 39.65 लाख की विभिन्न अभियांत्रिकी विभागो में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित समस्त विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

Work No.	UBN No.	Work No.	UBN No.
1	DLB2425WSOB15826	5	DLB2425WSOB15831
2	DLB2425WSOB15827	6	DLB2425WSOB15832
3	DLB2425WSOB15829	7	DLB2425WSOB15834
4	DLB2425WSOB15830		

प्रशासक नगरपालिका सांगोद
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सांगोद
राज.संवाद/सी/24/11071

सायबर ठग गिरोह को खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह से जुड़े चार आरोपी छात्र गिरफ्तार

- **सायबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराते थे आरोपी छात्र, चार मोबाइल जप्त**
- **पुलिस चारों आरोपियों के मोबाइल ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है, इनमें करोड़ों रुपए की चैट मिली**

अजमेर, (कासं)। फर्जी खाते खुलवाकर साइबर ठग गिरोह को खाता उपलब्ध करवाने वाले गिरोह से जुड़े चार आरोपी छात्रों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस चारों आरोपियों के मोबाइल ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है। इन चारों आरोपियों से पुलिस को करोड़ों रुपए की चैट मिली है, हालांकि साइबर थाना पुलिस विश्लेषण में जुटी है।

जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व ही साइबर थाना पुलिस ने इसी गिरोह के चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना पुलिस सभी 8 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है।

आईपीएस गोपीनाथ शरण कांबले ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह में शामिल सुभाष नगर भीलवाड़ा निवासी शुभम सिंह, शुभम खटीक, ललित सिंह और हर्षित सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चार मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह सभी आरोपी भी कमीशन पर अकाउंट खोलकर साइबर ठगों तक अकाउंट्स व सिम कार्ड बेचा करते थे। निचले लोगों को करीब 4 से 5 हजार का कमीशन देकर उनके डॉक्यूमेंट से अकाउंट और सिम कार्ड खुलवाकर आगे भेजते थे।

पांच करोड़ से ज्यादा की चैट मिली :-आईपीएस श्रवण कांबले ने बताया कि गिरफ्तार चारों अन्य आरोपियों की कॉल डिटेल्स और ट्रांजैक्शन सहित चैट्स खंगाली जा रही है। इनमें से एक आरोपी की चैट में 5 करोड़ से ज्यादा की चैट मिली है। हालांकि इसे लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। यह सभी 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से 1 साल से कांटेक्ट में थे। सभी आपस में एक दूसरे को अकाउंट्स बेचने का काम करते थे। बाद में उन अकाउंट्स को आगे साइबर ठगी और अन्य गतिविधियों के लिए भेजा जाता था। आरोपियों के मोबाइल नंबर भी साइबर ठगी से जुड़े हुए हैं। साइबर थाना पुलिस की जांच में यह सामने आया कि पकड़े जा रहे आरोपी सभी पढ़े लिखे हैं। गिरफ्तार शुभम सिंह बीए कर रखा है। शुभम खटीक 10वीं पास है। हर्षित सिंह 12जी पास तो वहीं ललित बीसीए पास है।

आरोपियों ने अलग-अलग बैंक में खुलवाए खाते :-आईपीएस श्रवण कांबले ने बताया कि हर अकाउंट की आरोपियों के द्वारा अलग कीमत रखी जाती थी। जिस अकाउंट में जितना बड़ा ट्रांजैक्शन होता है उस अकाउंट की कीमत सबसे ज्यादा होती है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि कोऑपरेटिव अकाउंट को यह सभी आरोपी 4 लाख रुपए में बेचा करते थे। सेविंग अकाउंट 50 हजार तो वहीं करंट अकाउंट को दो से तीन लाख रुपए में बेचा करते थे। इन चारों आरोपियों ने खुद के नाम पर भी 5 से 6 अकाउंट अलग-अलग बैंक में खुला रखे थे।

प्राचार्य व कम्प्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार

- **बीएड के ऑफलाईन फार्म जमा करवाने की एवज में यूनिवर्सिटी के नाम से परिवादी से पांच हजार रूपये रिश्वत मांगी**

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर. ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ ईकाई ने डॉ. रामावतार प्राचार्य श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को पांच हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी प्राचार्य रामावतार द्वारा बीएड के ऑफलाईन फार्म जमा करवाने की एवज में यूनिवर्सिटी के नाम से परिवादी से पांच हजार रूपये रिश्वत की मांग परेशान कर रहा था। जिस पर एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस राजेश सिह के सुपरविजन में ए.सी. बी. हनुमानगढ़ के पवन कुमार मीणा अति. पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी डॉ. रामावतार प्राचार्य, श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन ने रिश्वत श्री करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को दिलवाये जिसने रिश्वत राशि पांच हजार रूपये कार्यालय कक्ष में मेज पर रखी पुस्तक व फाईल के बीच में छिपाकर रख दिये, जहां से बरामद कर आरोपी डॉ. रामावतार व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत-बीकानेर
फोन-0151-2226454 ई-मेल- sephedbkn@gmail.com
क्रमांक-एस.ई.बी./अंके-।।/24-25/10425 दिनांक-16.01.2025

निविदा सूचना संख्या 03 से 12/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु मोहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा एकल लिफाफा पद्धति के अनुसार होगी। इस कार्य का निविदा प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.01.2025 दोपहर 11.00 बजे से दिनांक 13.02.2025 शाम 6.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है तथा दिनांक 14.02.2025 को 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि ई-चालनान के रूप में निविदा प्रपत्र में वर्णित पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.sppp.govt.in व https://eproc.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड किये जा सकते है। शर्त सहित निविदा मान्य नहीं होगी। डाक द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

जल सीमित है, इसकी बचत करें

(बलवीर सिंह) अधीक्षण अभियंता
जन. स्वा. अभि. विभाग, वृत्त-बीकानेर
DIPR/C/1059/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड कोलायत
क्रमांक-3156-57 दिनांक-23.01.2025

Notice Inviting Bid-69 to 78/2024-25

Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 01.02.2025 at 18.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajasthan.nic.in & "http://eproc.rajasthan.gov.in" of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 273.17 lacs.

NIT No.	69	70	71	72	73
UBN NO.	PHE2425 WSOB08487	PHE2425 WSOB08489	PHE2425 WSOB08491	PHE2425 WSOB08493	PHE2425 WSOB08495
NIT No.	74	75	76	77	78
UBN NO.	PHE2425 WSOB08498	PHE2425 WSOB08499	PHE2425 WSOB084503	PHE2425 WSOB084504	PHE2425 WSOB08506

जल सीमित हैं, इसकी बचत करें। (धर्मेन्द्र कुमावत) अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड कोलायत
DIPR/C/1081/2025

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान
आबकारी भवन 2 गानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001
क्रमांक-F.32(B)(1)(AP)EX/L/2024-25-03000 part(6)/1474 दिनांक-31.01.2025

पडत मदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आमंत्रित ई-निविदा सूचना में संशोधन

इस कार्यालय की समसंयक विज्ञप्ति पत्रांक 1462 दिनांक 28.01.2025 में उल्लेीति सारणी के क्रम संया 1 से 3 तक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

1	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 03.02.2025 दोपहर 3.00 बजे से
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 05.02.2025 दोपहर 3.00 बजे तक
3	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 05.02.2025 को दोपहर 4.00 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय।

अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी।
EXC2425GLOB00172
(शिवप्रसाद नकाते)
आबकारी आयुक्त, राजस्थान
DIPR/C/1381/2025

खेत में की जा रही अफीम की खेती पर पुलिस का छापा

- **खेत से अफीम के 20000 पौधे किए जप्त, आरोपी गिरफ्तार**
- **अफीम की खेती करके बाजार में बेचने वाला था आरोपी**

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए अफीम के 20000 पौधे जब्त किये है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नशे की वस्तुओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि मौलासर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की फसल बोई गई है, जिसे बाजार में बेचे जाने की योजना है। इस पर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम ने खेत पर छापा मारा, जहां से आरोपी मानाराम को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 2400 वर्गफुट में अफीम की खेती पाई गई। इस दौरान पुलिस ने मौके से अफीम के 20000 पौधे जब्त किए, जिन्हें आरोपी बाजार में बेचने वाला था पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कारों में भिड़ंत, एक की मौत

बीकानेर, (निसं)। बीकानेर में हुए एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। स्पीड में कार डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रही दूसरी कार से जा टकराई। घटना जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र में शाम 4:30 बजे नोखा रोड की है। हादसा एसबीआई बैंक के सामने हुआ। इस टक्कर में 7 लोग घायल हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि दो कारों की टक्कर होते ही तेज आवाज आई। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला और हॉस्पिटल भिजवाया। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान मारूति कार काफी स्पीड में थी। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि मारूति स्पीड में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रही इनोवा कार से टकरा गई। हादसे में गंगाशहर निवासी जितेंद्र स्वामी पुत्र पुखराज की मौत हो गई।

स्कूल विलय पर उच्च न्यायालय की रोक

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश विनित कुमार माथुर ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिन्नाणी पंवारसर का विलय सीनियर सैकेण्डर स्कूल, गिन्नाणी पंवारसर में होने के 16 जनवरी के आदेश पर आगामी रोक लगा दी है।

बीकानेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिन्नाणी पंवारसर में अध्ययनरत् बच्चों के परिजन मुकेश, शायरा व केशर ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के 16 जनवरी के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से प्रस्तुत की। अधिवक्ता बोहरा का उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि प्रथमतया इस विद्यालय के भवन में मात्र पांच ही कक्षाकक्ष है। इनमें पहली कक्षा से बारहवी कक्षा के बच्चों को किस प्रकार से बैठाया जायेगा व दूसरा तर्क यह था कि राज्य सरकार के नियमानुसार न्यून प्रवेश वाले विद्यालय का ज्यादा प्रवेश वाले विद्यालय में विलय किया जायेगा, जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गिन्नाणी पंवारसर में 116 विद्यार्थी अध्ययनरत् है एवं राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय गिन्नाणी पंवारसर में मात्र 102 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालय का सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गिन्नाणी पंवारसर में विलय नियम विरूद्ध है। प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के विलय आदेश पर आगामी तारीख पेशी तक रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है।

पॉक्सो अधिनियम में अभियुक्त को बरी किया

अजमेर, (कासं)। विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) संख्या-2, अजमेर रंजन सिंह की अदालत द्वारा प्रकरण सरकार बनाम भागचंद में अभियुक्त भागचंद गुर्जर को सभी आरोपों से बरी किया गया।

प्रकरण में भागचंद पर कथित पीड़िता का अपहरण करके अहमदाबाद ले जाकर ढाई महीनों तक निरंतर बलात्संग करने का आरोप था। एडवोकेट डॉ. दीपक मूलचंदानी ने बताया कि प्रकरण में अभियुक्त की निर्लिप्तता और उसके निर्दोष होने के समस्त साक्ष्यों को परिलक्षित करने में सुलभता के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अंतिम बहस में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कथन किया कि अभियोजन वक्त घटना पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम की होना साबित करने में असफल रहा है और न्यायालय ने यह भी माना कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन से अभियोजन की कहानी पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे में विसंगतिपूर्ण कथनों एवं साक्ष्यों के प्रकाश में अभियुक्त पर किसी प्रकार का आरोप साबित नहीं होता है और संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी किया गया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता डॉ. दीपक मूलचंदानी व नितीश दाधीच एडवोकेट की ओर से की गई।

The Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 Phone: 0141-2227267 * Fax 0141-2227257
Website: industries.rajasthan.gov.in/rajsco *e-mail: rajsico@rajasthan.gov.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

ई-निविदा सूचना

निगम में संविदा पर (आउट सोर्स) कर्मी उपलब्ध कराने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिष्ठित एजेन्सियों से द्वि-प्रकर्मी मोहर बन्द ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा प्रपत्र eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। अन्य विवरण एवं जानकारी निगम की Website: industries.rajasthan.gov.in/rajsico, eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते है। UBN No.: RSI2425SLOB00041
राज.संवाद/सी/24/11136 वरिष्ठ लेखाधिकारी (कार्मिक)

ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर लाखों की ठगी

अजमेर, (कासं)। अजमेर में युवक-युवतियों को ऑनलाइन जॉब दिलवाने का झांसा देकर शातिर ठगों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली। पीड़ितों ने शुक्रवार को एसपी वंदिता राणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की कर रकम दिलाने की मांग की।

एसपी वंदिता राणा को सौंपे ज्ञापन में पीड़ित उदयगंज निवासी माधुरी सांवरिया ने बताया कि सूरज नामक युवक ने उसे और उसके मित्र पवन से संपर्क किया और ऑनलाइन जॉब दिलवाने का भरोसा दिलाया। इसके बदले सूरज ने प्रत्येक व्यक्ति से साढ़े 12 हजार रुपए का टोकन अमाउंट लिया और ढाई हजार रुपए कंसल्टेंसी फीस के रूप में वसूल किए। इसके बाद सूरज ने पीड़ितों से 37 हजार 500 रुपए और लिए थे। समय बीतने के बावजूद जॉब नहीं मिलने पर पीड़ितों ने सूरज से संपर्क किया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बाद में आरोपी ने पीड़ितों को फर्जी कंपनी में इंटरव्यू दिलवाकर और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवा कर उन्हें और पैसे देने के लिए मजबूर किया।

पीड़ितों ने बताया कि आरोपी शातिर ठग ने हर व्यक्ति को 35 से 40 हजार रुपए प्रति माह सैलरी का झांसा दिया था। पीड़ितों ने बताया कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे आरोपी के घर गए और उसकी मां को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी की मां ने कुछ पैसे लौटा दिए। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने उनके दस्तावेजों का गलत तरीके से उपयोग कर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।

सायबर ठगी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार : जुरहरा में स्थानीय थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम बमनवाडी-सहसन की नहर की पटरी पर सायबर ठगी कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हैदर अली पुत्र कमालुद्दीन निवासी ग्राम रायपुरी थाना नूंह सदर जिला नूंह हरियाणा, इखलाख पुत्र उस्मान मेव निवासी ग्राम सराय खटैला थाना मुण्डकटी जिला पलवल हरियाणा व मलकीतसिंह पुत्र गुरमेज सिंह निवासी ग्राम सहसन थाना जुरहरा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 फर्जी मोबाइल फोन, 4 फर्जी सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड तथा सायबर ठगी के अपराध में प्रयुक्त एक क्रेटा गाडी जब्त की है। जुरहरा थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी हैदरअली की इत्तला पर सायबर ठगी से कमाये गये 45,050 रूपये भी बरामद किये गये हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ कर जांच की जा रही है।

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JODHPUR
E-Auction Programme of Residential, Commercial, Multistory, Facility Plots (Club House, School, Community Center, Training Centre, Kinder Garten, Dispensary Etc.) Plots in Jodhpur (February-April) 2025
क्रमांक :-एफ46/नीलामी/2025/जनवरी/13262702 दिनांक :- 29.01.2025

भूखण्डों की भव्य ई-नीलामी
दिनांक 12.02.2025 से 24.04.2025 तक

204 आवासीय, व्यावसायिक, मल्टीस्टोरी एंव सुविधा क्षेत्र में स्थित (क्लब हाउस/कम्युनिटी सेन्टर/किंडर गार्टन स्कूल/डिस्पेंसरी) भूखण्ड

योजना	भूखण्ड
गंगा विहार योजना में कुल भूखण्ड (43.22 वर्ग मीटर से 256.51 वर्ग मीटर)	07
राज्य कर्मचारी आवासीय योजना ग्राम मोगड़ा कलां योजना में कुल भूखण्ड (41.82 वर्ग मीटर से 250.93 वर्ग मीटर)	05
उद्योग विहार औद्योगिक योजना में कुल भूखण्ड (1250 वर्ग मीटर से 6324 वर्ग मीटर)	04
राजीव गांधी नगर चौखा आवासीय योजना में कुल भूखण्ड (67.50 वर्ग मीटर से 354.75 वर्ग मीटर)	33
मल्टीस्टोरी रहवासीय भूखण्ड राजीव गांधी नगर चौखा योजना में कुल भूखण्ड (2464 वर्ग मीटर से 2500 वर्ग मीटर)	04
आनन्द विहार योजना ग्राम-मोकलावास में कुल भूखण्ड (270 वर्ग मीटर से 412.05 वर्ग मीटर	05
व्यावसायिक खसरा नं. 701 ग्राम चौखा में कुल भूखण्ड (72 वर्ग मीटर से 324 वर्ग मीटर)	12
अरणा विहार योजना ग्राम-बड़ली में कुल भूखण्ड (84 वर्ग मीटर से 450 वर्ग मीटर)	19
झरणा विहार योजना ग्राम-बड़ली में कुल भूखण्ड (61.2 वर्ग मीटर से 216 वर्ग मीटर)	02
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विहार आवास योजना में कुल भूखण्ड (38.33 वर्ग मीटर से 199.07 वर्ग मीटर)	26
व्यावसायिक परिवहन नगर आंगणवा ट्रांस्पोर्ट/ऑटोमोबाइल नगर योजना में कुल भूखण्ड (334.57 वर्ग मीटर से 501.86 वर्ग मीटर)	03
मण्डोर एफ एस एल खसरा नं. 388 ग्राम मण्डोर आवासीय योजना में कुल भूखण्ड (344.44 वर्ग मीटर)	01
मण्डलनाथ आवास योजना में कुल भूखण्ड (41.82 वर्ग मीटर से 592.93 वर्ग मीटर)	58
विज्ञान नगर योजना में कुल भूखण्ड (92.01 वर्ग मीटर से 679.83 वर्ग मीटर)	20
राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा नं. 77/4 (क्लब हाउस/कम्युनिटी सेन्टर/किंडर गार्टन स्कूल/डिस्पेंसरी) (450.70 वर्ग मीटर)	01
राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नं. 162, 163, 164 व 166 (क्लब हाउस/कम्युनिटी सेन्टर/किंडर गार्टन स्कूल/डिस्पेंसरी) (663.18 वर्ग मीटर)	01
राजस्व ग्राम झालामण्ड (आशापूर्णा अनमोल मुख्यमंत्री जन आवास योजना) में (क्लब हाउस/कम्युनिटी सेन्टर/किंडर गार्टन स्कूल/डिस्पेंसरी) (682.01 वर्ग मीटर)	01
आदित्य इण्डस्ट्रीयल एस्टेट राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नं. 52/4, 52/5, 53/4, 53/5 (क्लब हाउस/कम्युनिटी सेन्टर/किंडर गार्टन स्कूल/डिस्पेंसरी) (3379.94 वर्ग मीटर)	01
राजस्व ग्राम भैंसेर कुतडी के खसरा नं. 211/114, 273/116, वगैरह (एम.एस.एम.ई योजना) (क्लब हाउस/कम्युनिटी सेन्टर/ डिस्पेंसरी) (2723.65 वर्ग मीटर)	01

ईएमडी जमा दिनांक: 12 फरवरी 2025 से प्रारम्भ
ऑनलाइन बिड: प्रारम्भ तिथिः 12 फरवरी 2025 अंतिम तिथिः 24 अप्रेल 2025

नीलामी के समस्त भूखण्डों की विस्तृत जानकारी एंव नीलामी की शर्ते जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट : joda.rajasthan.gov.in पर देखें या कार्यालय में सम्पर्क करें।
नीलामी की प्रक्रिया SSO ID के जरिये Urban Services के माध्यम से की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए QR स्कैन करें।

प्रभारी अधिकारी (नीलामी शाखा)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
मोबाईल नं.- 96723-54150, 96364-12457

निदेशक वित्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
फोनः- 0291-2656355,2656356

राज.संवाद/सी/24/11144